पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 1933/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 01 .11.2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्हें दि0 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू0 4600 (वर्तमान वेतन लेवल–7) ग्रेड पे अनुमन्य है तथा अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम मूल वेतन रू0 11,000 तक है। रू0 4600 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–11000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्राःस्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक–01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हो, के सम्बन्ध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/–तक माना जायेगा परन्तु रू0 4600 के ग्रेड वेतन में अपुनरीक्षित वेतमान रू0 6500–11000 (पूर्ववर्ती रू0 3500/–) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ अनुग्रह अनुमन्य नहीं हेागा।
2. तदर्थ अनुग्रह के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय होगी। इस प्रायोजन के लिए दिनांक 31, मार्च 2018 को ग्राह्य परिलब्धियों के रूप में धनराशि रू0 6908.00 होगी (रू0 7000 X30/30.4=रू0 6907.89 को सुगमांकित कर रू0 6908.00)। कारपोरेशनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रूपये के निकटतम में सुगमांकित कर किये जाएगें।
3. इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक 31 मार्च 2018 को कारपोरेशन की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।
4. तदर्थ अनुग्रह की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 7000/–प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रू0 7000/–से अधिक थी उनके लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रू0 7000/–प्रतिमाह हैं।
5. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा।
6. मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, उत्तराखण्ड विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.................2

7. ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2017–18 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय नहीं होगी।
8. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।
9. अनुमन्य तदर्थ अनुग्रह की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नगद में किया जायेगा।
10. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिये लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकार पत्र (लैटर ऑफ आथोरिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेशों के आधार पर ही स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राहय होगा।
11. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय लिये जाने के पश्चात् आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
12. तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्यय लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1933/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक :
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना)/(परिचालन)/(वित्त) पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल..................................।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल...।
5. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को आज ही निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
7. कट फाइल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)